सत्यमेव जयते

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
गृह मंत्रालय
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
जनगणना कार्य निदेशालय, राजस्थान
DIRECTORATE OF CENSUS OPERATIONS, RAJASTHAN
6–बी, झालाना डूंगरी, जयपुर–302004
6-B, JHALANA DOONGRI, JAIPUR-302004
दूरभाष/Phone : 0141- 2708078, 2709177 फैक्स/ Fax: 2707090
ई-मेल/ E-mail : dco-raj.rgi@censusindia.gov.in

परिपत्र संख्या–1

N-23017/1/2014-NPR /49 दिनांक 15.09.2015

समस्त जिला कलक्टर

विषय: राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) के डाटा बेस को अद्यतन करने और आधार नम्बर को एनपीआर डाटा बेस में सम्मिलित करने के संबंध में।

महोदय,

केन्द्र सरकार ने भारतीय नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर (एनआरआईसी) तैयार करने की दिशा में प्रथम चरण के रूप में देश के सभी 'सामान्य निवासियों' का राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) तैयार करने का निर्णय लिया है। एनपीआर को देश के सभी सामान्य निवासियों का व्यापक इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस बनाने की योजना है जिसमें 15 प्रकार के जनसांख्यिकीय आंकड़े और बायोमेट्रिक्स अर्थात फोटोग्राफ, दस अंगुलियों की छाप और आइरिस के प्रिंट शामिल किए गए है।

एनपीआर के अंतर्गत देश के 119 करोड़ से अधिक सामान्य निवासियों का इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस अंग्रेजी के साथ–साथ क्षेत्रीय भाषाओं में पहले ही तैयार किया जा चुका है। देश के सामान्य निवासियों के बायोमेट्रिक विवरण एकत्र करने का कार्य दो एजेंसियों अर्थात् भारत के महारजिस्ट्रार, नागरिक रजिस्ट्रीकरण (आरजीसीआर,आई) और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) द्वारा किया जा रहा है। इसी क्रम में राजस्थान में बायोमेट्रिक्स अर्थात फोटोग्राफ, दस अंगुलियों की छाप और आइरिस के प्रिंट आदि लेने का कार्य भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) द्वारा किया जा रहा है।

जैसा कि आपको विदित है कि राजस्थान में जनगणना 2011 के प्रथम चरण – मकानसूचीकरण एवं मकानगणना के साथ राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर तैयार करने का कार्य भी 15 मई – 30 जून 2010 के दौरान् किया गया था। आपके द्वारा इस राष्ट्रीय महत्व के कार्य में दिखाए गए उत्साह व सहयोग के लिए आपको हार्दिक धन्यवाद। उस दौरान् भरी गई राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के कार्य से तैयार सामान्य निवासियों के स्थानीय रजिस्टर (LRUR) को स्केन करने के बाद उनको डिजिटाईजेशन करने का कार्य पूरा किया गया। वर्तमान में नागरिकता अधिनियम 1955 और नागरिकता (नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना) नियमावली, 2003 के नियम 3 के उप नियम (4) के अनुसरण में केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को अद्यतन करने का निर्णय लिया गया है। उक्त कार्य हेतु भारत के महारजिस्ट्रार, नागरिक रजिस्ट्रीकरण द्वारा राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को अद्यतन करने हेतु स्थानीय रजिस्ट्रार के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत सामान्य निवासियों से संबंधित जानकारी एकत्र करने के लिए देशभर में प्रगणकों को घर–घर जाकर आवश्यक सूचनाऐं मिलान करने एवं एकत्रित करने संबंधी फील्ड कार्य 01 जुलाई, 2015 से प्रारम्भ किए जाने संबंधी अधिसूचना दिनांक 25 जून 2015 को जारी कर कर दी गई है। राजस्थान में भी इस विषय में शीघ्र ही इस आशय की एक अधिसूचना जारी की जा रही है।

राजस्थान में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को अद्यतन करने व डाटाबेस में आधार नम्बरों व राशनकार्ड नम्बरों को शामिल करने संबंधी फील्ड कार्य राज्य सरकार द्वारा एक माह की समयावधि में अपने कर्मचारियों से करवाया जाना है। इस कार्य हेतु निम्नलिखित कार्य आपके द्वारा कराये जाने है:

1– राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के सामान्य निवासियों के स्थानीय रजिस्टर (Local Register of Usual Resident) का ब्लॉक के अनुसार उपलब्ध कराये गये डाटाबेस से प्रिन्ट (मुद्रण) करवाना एवं उनका वितरण:

भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा जनगणना 2011 के प्रथम चरण – मकानसूचीकरण एवं मकानगणना के दौरान् भरी गई राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के कार्य से तैयार सामान्य निवासियों के स्थानीय रजिस्टर (LRUR) के ब्लॉक के अनुसार डाटा बेस की सॉफ्ट कॉपी राज्य सरकार को उपलब्ध करवा दी गई है। इसकी सहायता से प्रत्येक ब्लॉक के राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के कार्य से तैयार सामान्य निवासियों के स्थानीय रजिस्टर (LRUR) की प्रिन्टिंग/मुद्रण राज्य/जिला स्तर पर राज्य सरकार द्वारा किया जाना है और उनकी बाइंडिंग करवाकर फील्ड कार्य हेतु प्रगणकों को उपलब्ध करवाई जानी है। इस प्रकार तैयार की गई प्रत्येक बुकलेट में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर अनुसूचियों के न्यूनतम 20 खाली फार्म व ब्लॉक सार के पृष्ठ भी (परिवारों की संख्या के अनुसार) बाईंड करवाये जाने है जिससे ब्लॉक में रहने वाले सामान्य निवासियों के किसी भी परिवार में बढ़े हुए सदस्यों/नए परिवारों को जोड़ा जा सके तथा ब्लॉक सार बनाने के लिए इनका उचित उपयोग किया जा सके। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के कार्य से तैयार सामान्य निवासियों के स्थानीय रजिस्टर (LRUR) के ब्लॉक के अनुसार डाटा बेस की बुकलेट प्रगणक को जारी करने से पूर्व संबंधित चार्ज अधिकारी द्वारा उसकी ठीक से जांच अवश्य की जानी चाहिए ताकि संबंधित ब्लॉक की बुकलेट ही इस कार्य के लिए नियुक्त प्रगणक को सौंपी जा सके। प्रत्येक प्रगणक को सामग्री

एवं बुकलेट के साथ ही अनुदेश पुस्तिका भी उपलब्ध करवायी जानी है जिसकी सॉफ्ट कॉपी भी राज्य सरकार द्वारा आपको शीघ्र उपलब्ध करवाई जा रही है।

2— पदनामित अधिकारियों की नियुक्तिः

राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को अद्यतन करने के कार्य को सुचारू एवं व्यवस्थित रूप से सम्पन्न करने के लिए जिला एवं चार्ज अधिकारियों को उनके क्षेत्राधिकार के अनुसार पदनामित किया जाना आवश्यक है। जनगणना 2011 के प्रथम चरण — मकानसूचीकरण एवं मकानगणना के साथ राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर तैयार करने का कार्य भी 2010 के दौरान् किया गया था। सम्भवतया वर्तमान में किसी भी कारण से क्षेत्राधिकार परिवर्तन हो गया हो। इस संबंध में अपने जिले के चार्ज अधिकारियों में आपसी तालमेल के अनुसार वर्तमान में अधिकृत चार्ज अधिकारी के पास सामग्री उपलब्ध करवाते हुए कार्य पूरा कराये। इस निदेशालय द्वारा जनगणना 2011 की वस्तुस्थिति के अनुसार संक्षिप्त मकानसूची (Abridged Houselist) जिला स्तर पर शीघ्र ही उपलब्ध करवाई जा रही है। जनगणना 2011 के अनुसार तहसील/नगर की सूची का विवरण संलग्न है। **यदि आपके जिले में संलग्न सूची से अधिक संख्या में तहसील तथा वैद्यानिक नगर है तो उसकी सूचना दिनांक 18.09.2015 तक इस निदेशालय को अवश्य भेजें** ताकि उसी अनुरूप चार्ज के लिए दी जाने वाली कन्टीजैन्सी, प्रशिक्षण भत्ता, पीओएल तथा स्टेशनरी आदि की राशि आवंटित की जा सके।

जिले में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को अद्यतन करने का उत्तरदायित्व जिला कलक्टर पर होगा और वे नागरिकता अधिनियम एवं कानून के अधीन जिला नागरिक राष्ट्रीकरण रजिस्ट्रार के रूप में पदनामित किए जायेंगे। नगर निगमों के संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी उक्त उत्तरदायित्व का निर्वहन करेंगे। ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों के लिए विभिन्न स्तरों पर कार्यरत अधिकारियों को शीघ्र ही राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर पदनामित किया जाएगा।

3— प्रगणकों की नियुक्तिः

चार्ज अधिकारी अपने क्षेत्राधिकार की सीमा के अन्तर्गत अपेक्षित संख्या में प्रगणकों की नियुक्ति करवायेंगे एवं प्राप्त निर्देशों के अनुरूप प्रगणकों को इस प्रकार प्रशिक्षित करवायेंगे कि वे अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन दक्षतापूर्वक कर सके। इस कार्य हेतु चार्ज अधिकारी अपनी अधिकारिता सीमा में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों का डाटा बेस तैयार करें जिससे प्रगणकों की नियुक्ति सुगमतापूर्वक की जा सके। किसी भी स्थिति में प्राईवेट अथवा निजी कर्मचारियों को इस कार्य हेतु नहीं लगाया जाना है।

4— प्रशिक्षणः

राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को अद्यतन करने तथा आधार नम्बर लिखने के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्रगणकों को जनगणना कार्य निदेशालय के अधिकारियों तथा राज्य सरकार के अधिकारियों के समन्वय से व्यापक रूप से एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया जायेगा। अतः सभी चार्ज अधिकारी अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले गांव तथा वार्ड में कार्य करने वाले

अध्यापक, क्लर्क, रेवेन्यू क्लर्क, सेनेटरी इन्सपेक्टर इत्यादि की सूची शीघ्र ही मंगवाकर तैयार रखें ताकि आवश्यकतानुसार प्रगणकों की नियुक्ति की जा सके।

5– **फील्ड कार्य (Field Work)**

प्रशिक्षण के पश्चात् चार्ज अधिकारियों द्वारा अपने क्षेत्राधिकार की सीमा में लगाये गये प्रगणकों को उनके ब्लॉक की सीमाओं का परिचय करने के लिए प्रिन्टेड बुकलेट के साथ ही ब्लॉक का नोशनल मैप भी उपलब्ध करवाया जायेगा ताकि वह दी गई एक माह की अवधि में दिए गए ब्लॉक/ब्लॉकों का कार्य सुगमतापूर्वक पूर्ण कर सके। एक प्रगणक को अधिकतम चार ब्लॉकों का कार्य आवंटित किया जा सकता है – राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को अद्यतन करने के कार्य में अधिक समय नहीं लगेगा क्योंकि सूचना पूर्व में ही एकत्रित की जा चुकी है, और उसकी प्रिन्टेड कॉपी अपडेट करने के लिए उपलब्ध करवाई जा रही है। फील्ड कार्य पूर्ण कर समस्त रिकार्ड चार्ज अधिकारी के पास जमा करना होगा।

इन सभी कार्यो के संबंध में विस्तृत दिशा–निर्देश इस निदेशालय एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए जायेंगे। आशा है कि आप इस राष्ट्रीय महत्व के कार्य को निर्धारित समयावधि में पूर्ण करवाने हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे।

भवदीय,

संलग्न : उपरोक्तानुसार

(आर.आर.मीना)
संयुक्त निदेशक एवं
नियंत्रक अधिकारी

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1. भारत के महारजिस्ट्रार, नागरिक रजिस्ट्रीकरण, 2ए मानसिंह रोड़, नई दिल्ली–110 011
2. शासन सचिव, आयोजना, सूचना प्राद्योगिकी एवं संचार विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. डॉ. हंसराज यादव, राज्य समन्वयक (NPR) एवं अतिरिक्त निदेशक (UID), कमरा नम्बर 210, न्यू आईटी बिल्डिंग, योजना भवन, जयपुर
4. श्री एम.एस.भाटी, उप निदेशक एवं नोडल अधिकारी (एनपीआर) – राजस्थान – भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय, 2ए, मानसिंह रोड़, नई दिल्ली–110 011
5. समस्त अतिरिक्त जिला कलक्टर
6. समस्त जिला सांख्यिकी अधिकारी
7. समस्त तहसीलदार
8. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी/ प्रशासक/ अधिशाषी अधिकारी

(पुनीत मेहरोत्रा)
सहायक निदेशक